

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 350-दो/07 विरुद्ध आदेश, दिनांक 14-11-2006 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 247/अ-19/05-06

- 1 महेन्द्र सिंह पिता खूबसिंह राजपूत
 - 2 राजेन्द्र वल्द खूबसिंह राजपूत
 - 3 नरेन्द्र वल्द खूबसिंह राजपूत
- सभी निवासी ग्राम बम्होरी लाल तहसील खुरई
जिला सागर म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1 बब्बू उर्फ बबुआ पिता हिम्मत अहिरवार
 - 2 रतिबाई पत्नि बब्बू अहिरवार
- निवासी ग्राम बम्होरीलाल तहसील खुरई
जिला सागर म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी0 एस0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9 3. 2016 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 350-दो/07 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 247/ए-19/05-06 में पारित आदेश दिनांक 14-11-2006 के विरुद्ध प्रस्तुत हुआ है ।



2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । आयुक्त न्यायालय में आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7-7-06 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसे आयुक्त ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि वे एवं आयुक्त समकक्ष अधिकारी है, एवं आयुक्त अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध निगरानी नहीं सुन सकते । मैं आयुक्त के इस तर्क एवं निर्णय से सहमत हूँ । अतः आयुक्त का आक्षेपित आदेश यथावत रखते हुए यह निगरानी अस्वीकार करता हूँ ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
अभिलेख वापस हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।



(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर

